भोमपुरा गौशाला में गौवंश की मौत का मामला राज्य सरकार तक पहुंचा

जयपुर से पशुपालन विभाग के उच्चाधिकारी रायसिंहनगर पहुंचे और गौशाला का निरीक्षण किया

- ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में लंबे समय से अव्यवस्थाएं थी, लेकिन उच्च अधिकारियों ने समय रहते ध्यान नहीं दिया
- मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) स्तर पर इस पूरे प्रकरण की निगरानी की जा रही है

रायसिंहनगर, (निसं)। यहां गांव भोमपुरा स्थित गौशाला में लगभग 100 गौवंशों की संदिग्ध मौत का मामला राज्य सरकार तक पहुंच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर से पशुपालन विभाग के उच्चाधिकारी रायसिंहनगर पहुंचे और गौशाला का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) स्तर पर इस पूरे प्रकरण की निगरानी की जा रही है।

पशुपालन विभाग के निदेशक पंकज ओझा, संयुक्त निदेशक मनोज बरवड़ा, डीडी शशि रंजन सर्वा और वरिष्ठ पशु अधिकारी जितेंद्र यादव ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को जिले में ही रुककर हालात सुधारने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस बीच जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने मामले को दबाने के आरोप लगाए। प्रशासन ने श्यामगढ़ के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेंद्र सुथार को निलंबित कर दिया है, जिससे ग्रामीणों और गौसेवकों में रोष बढ़ गया है। बजरंग सेना के संभाग अध्यक्ष रामचंद्र सिहाग और जिला अध्यक्ष दिनेश ठोलिया ने डॉ. सुथार की बहाली की मांग करते हुए आरोप लगाया कि छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में लंबे समय से अव्यवस्थाएं थीं, लेकिन उच्च अधिकारियों ने समय रहते ध्यान नहीं दिया। उनका आरोप है कि अब मामला सामने आने पर केवल निचले स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। शनिवार को गौशाला में नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि जब तक निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। वर्तमान में गौशाला में 55 गोवंश बीमार स्थिति में हैं। आठ पशु चिकित्सक, 12 एलएसए (पशुधन सहायक) और चार पशुधन सहायकों की एक टीम उनके उपचार में जुटी हुई है।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर जर्मन दंपती को ठहराया, मामला दर्ज

- आरोपी के खिलाफ अप्रवास अधिनियम के तहत मामला दर्ज, पहले धर्मांतरण का केस भी हुआ था

श्रीकरणपुर, (निसं)। यहां भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक जर्मन दंपती को अवैध रूप से ठहराने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई थाने के उपनिरीक्षक माला सिंह की रिपोर्ट पर अप्रवास विदेशी विषयक अधिनियम 2025 के तहत की गई है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित श्रीकरणपुर क्षेत्र में विदेशी नागरिकों के आगमन पर सख्त प्रतिबंध हैं। यदि कोई विदेशी नागरिक यहां आता है, तो उसके लिए कड़े नियम लागू होते हैं। इसके बावजूद जर्मन दंपति श्रीकरणपुर पहुंचा और सूत्रों के अनुसार गांव 16 एस माझीवाला के सीमावर्ती क्षेत्र में भी घूमकर आया था। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद सहित जागरूक लोगों की सूचना पर चल रहे धर्मांतरण के खेल पर पुलिस ने दबिश दी थी।

पूर्व में शरद गुंबर की रिपोर्ट पर धर्मांतरण के नए कानून के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था। अब उपनिरीक्षक माला सिंह ने विदेशी नागरिकों को यहां ठहराने और उनके खाने-पीने की व्यवस्था करने वाले युवक के खिलाफ अलग से मामला दर्ज कराया है। उपनिरीक्षक माला सिंह ने धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार बलजिंदर सिंह और राजेश कंबोज से पूछताछ की। जर्मन निवासी सेवनबोस बैटसलर पुत्र रिगो बैटसलर और उनकी पत्नी सांडर बैटसलर को राजेश कुमार कंबोज ने श्रीकरणपुर के कचीथेड़ी स्थित अपने मकान में तीन-चार दिन तक ठहराया था। राजेश कुमार कंबोज ने इन विदेशी नागरिकों को रहने और खाने-पीने की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। राजेश पॉपी द्वारा अपने रिहायशी मकान में सीमावर्ती क्षेत्र में नियम विरुद्ध विदेशी नागरिकों को ठहराने और इसकी सूचना एफआरओ (विदेशी पंजीकरण अधिकारी) या स्थानीय पुलिस प्रशासन को नहीं देने का यह कृत्य धारा 8/23 अप्रवास व विदेशी विषयक अधिनियम 2025 के तहत दंडनीय है। इन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार जांच थानाधिकारी को सौंपी गई है।

हाईवे पर बदमाशों ने वाहनों पर पथराव किया

नेशनल हाईवे-48 की घटना, 8-10 वाहनों के कांच टूटे

- ट्रक ड्राइवर ने एक व्यक्ति को पत्थर मारते हुए देखा था, उस आधार पर एक युवक को पकड़ा

उदयपुर, (निसं)। उदयपुर के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-48 पर कुछ बदमाशों ने रविवार को चलते वाहनों पर पथराव किया। पथराव से आठ-10 वाहनों के कांच टूट गए। एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गया। वहीं, डूंगरपुर डिपो की रोडवेज बस पर अचानक पत्थर बरसने से यात्री सहम गए। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी।

घटना कागदर आवासीय स्कूल के सामने ओवरब्रिज की है। जहां ट्रक, बस और कार पर पथराव हुआ। अचानक पथराव होता देख वाहनों चालकों ने गाड़ियां रोक ली। वे वाहनों से बाहर आ गए और विरोध जताने लगे। घटना के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए लंबा जाम लग गया। सूचना पर ऋषभदेव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। थानाधिकारी हेमंत अहारी ने बताया कि एक ट्रक ड्राइवर ने एक व्यक्ति को पत्थर मारते हुए देखा था। उस आधार पर एक युवक को पकड़ा है। हालांकि वह युवक मानसिक रूप से कमजोर लग रहा है। पूछताछ में स्पष्ट नहीं बता रहा। हालांकि पुलिस घटना में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका पर जांच में जुटी है।

एमपी से दिल्ली ले जाई जा रही 1.11 करोड़ की नगदी सहित पांच गिरफ्तार

नाकाबंदी के दौरान स्कार्पियो कार से नगदी जब्त की, मौके पर मशीन मंगवाकर नोटों की गिनती करवाई

- तलाशी में कार में बैग मिले, जिसमें 500, 200,100 व 50 रुपए के नोटों के बंडल थे

बौंली-बामनवास, (निसं)। सवाई माधोपुर जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अवैध गतिविधियों पर अंकुश अभियान के तहत मध्य प्रदेश से दिल्ली ले जाई जा रही स्कार्पियो कार से एक करोड़ 11 लाख रुपए की नगदी के साथ पांच आरोपियों को गिरफ्तार व कार जब्त की है।

सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह मीणा व सीओ हेमराज बैरवा के नेतृत्व में सवाई माधोपुर जिले भर में नाकाबंदी कर वाहनों की संधन तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान 20 दिसंबर को रवांजना डूंगर थाना प्रभारी दिलीप कुमार वर्मा व मानटाउन थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता की टीमों द्वारा नाकाबंदी के दौरान मध्य प्रदेश से दिल्ली जा रही स्कार्पियो कार को रोका गया। कार के आगे, पीछे नंबर प्लेटों पर मिट्टी लगी थी व कार सवार पांच लोगों के हावभाव भी संदिग्ध पाए जाने पर पूछताछ की गई। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वाहन की तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान पीछे की सीट पर बैग मिले, जिसमें 500, 200,100 व 50 रुपए के नोटों के बंडल मिले, जिन्हें मशीन मंगवाकर गिनती कराए जाने पर एक करोड़ 11 लाख रुपए निकाले। कार में सवार पांच लोगों से पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर पुलिस ने अवैध संग्रहण व परिवहन पाए जाने पर धारा 106 बीएनएस के तहत राशि को जब्त कर आयकर विभाग को सूचित किया।

आयकर विभाग रवांजना डूंगर थाने में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों में मयंक राठौर निवासी तलवाड़ा डैम जिला बड़वानी मध्य प्रदेश, विश्वनाथ साहू निवासी सोनाघाटी जिला बैतूल मध्य प्रदेश, सचिन जायसवाल निवासी सलावत जिला खरगोन मध्य प्रदेश, सुदामा कुशवाह निवासी बड़ागरी जिला दतिया मध्य प्रदेश व राकेश मरकाम निवासी मरकाम ढाना जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर आयकर विभाग की टीम रवांजना डूंगर थाने में पूछताछ कर रही है।

कॉपर तार और ऑयल चोरी, दो आरोपी गिरफ्तार

सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर से कॉपर और ऑयल चुरा लिया था

डूंगरपुर, (निसं)। जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने घोड़ी आमली गांव में सिंगल फेज डीपी (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर) से कॉपर तार और ऑयल चोरी करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक रुमानाथ उर्फ रुमालिया पर उदयपुर के दो थानों में कुल 11 मामले दर्ज हैं। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

दोवड़ा थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि यह मामला दोवड़ा एवीवीएनएल के एईएन नरेश कुमार मीणा की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, घुनीफला फला घोड़ी आमली में लगे सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को 17 दिसंबर की रात दो अज्ञात व्यक्तियों ने नीचे गिरा दिया था। इसके बाद उन्होंने ट्रांसफॉर्मर से कॉपर और ऑयल चुरा लिया।

मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी पप्पू पुत्र रंगलाल कनिपा, निवासी गणेश लीमड़ी घोड़ी आमली तथा उसके सहयोगी रमानाथ उर्फ रुमालिया कालबेलिया को गिरफ्तार किया। रुमालिया मठ मादड़ी, प्रतापनगर, उदयपुर का निवासी है और वर्तमान में वाड़ी घाटी परसाद में रह रहा था। दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान डीपी से कॉपर और ऑयल चोरी की वारदात कबूल कर ली है। आरोपी रुमालिया के खिलाफ उदयपुर के प्रतापनगर थाने में 10 और नाई थाने में एक सहित कुल 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस आगे जांच कर रही है।

53 हजार रूपये रिफंड करवाये

टोंक, (निसं)। थानाधिकारी निवाई घासीराम के नेतृत्व में गठित टीम ने अज्ञात सायबर ठग द्वारा परिवादी के खाते से 53 हजार रूपये ऑनलाईन धोखाधड़ी पूर्वक हड़पने के बाद थाना पुलिस ने ठगों से बाद जांच के 53 हजार रूपये वापिस परिवादी के खाते में रिफण्ड करवाया। थानाधिकारी निवाई ने बताया कि गत 3 दिसम्बर को परिवादी विजय शंकर द्विवेदी निवासी यश बैंक की गली भगत सिंह कॉलोनी निवाई द्वारा थाना निवाई में प्रकरण दर्ज कराया गया कि अज्ञात आरोपी द्वारा मेरी पत्नी पूजा के यूनियन बैंक के खाते से 53 हजार रूपये बिना उसकी अनुमति के काट लिये।

कैंपर गाड़ी ने पांच युवकों को टक्कर मारी, दो की मौत

सड़क किनारे खड़े थे पांचों युवक, तभी हादसा हुआ

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में सवाईपुर रोड पर ढोकलिया विद्युत ग्रिड के पास शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। सवाईपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे एक कैंपर ने सड़क किनारे खड़े पांच युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जानकारी मिलते ही 108 एम्बुलेंस और कोटड़ी थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मृतकों के शव कोटड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखे गए हैं।

थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि हादसे में बनेड़ा थाना क्षेत्र के डगास निवासी गोविंद पिता कल्याण भील और बाबू पिता शंकरलाल भील की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, डगास के ही भैरू पिता धन्ना भील, विनोद पिता बद्रीलाल भील और फूलिया कला थाना क्षेत्र के रूपपुरा निवासी सांवरा पिता शंकरलाल भील घायल हुए हैं। रविवार को परिजनों के आने के बाद दोनों शवों का कोटड़ी चिकित्सालय में पोस्टमॉर्टम किया गया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की गहन जांच कर रही है।

युवक की हत्या कर शव गड्ढे में फेंका, आरोपी गिरफ्तार

महिला से एक तरफा प्रेम के चलते वारदात को अंजाम दिया था

- चितौड़गढ़ हाईवे पर गड्ढे में मृतक का शव मिला था

कोटा, (निसं)। आरकेपुरम थाना इलाके के चितौड़गढ़ हाईवे पर धारदार हथियार से हमला कर युवक की हत्या कर गड्ढे में शव फेंकने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस टीम ने हत्यारे को घटना के कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी दिलभर गुर्जर को गिरफ्तार किया है।

मामले में सामने आया कि मृतक व आरोपी एक दूसरे से परिचित थे और एक महिला से एक तरफा प्रेम के चलते आरोपी ने मृतक को रास्ते से हटाने के लिये उस पर धारदार हथियार चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी और बाद में शव को गड्ढ में फेंक कर फरार हो गया। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 20 दिसम्बर को गुर्जर चौक के पास चितौड़गढ़ हाईवे के फोरलेन की स्लीप लाईन के पास एक गड्ढे में व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली, जिस पर आरकेपुरम पुलिस टीम व घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। शहर एसपी ने बताया कि मृतक की पहचान बाद में रोझड़ी निवासी करण के रूप में हुई। शहर एसपी ने बताया कि मृतक के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिये शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के निर्देशन में पुलिस उप अधीक्षक मनीष शर्मा के सुपरविजन में आरकेपुरम् थानाधिकारी संदीप विश्नोई एवं कोतवाली थानाधिकारी महेन्द्र मारू के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। शहर एसपी ने बताया कि गठित टीम व जांच में जुटी डीएसटी टीम ने विभिन्न पहलु पर घटना की जांच की, टीम ने आस-पास लगे सीसीटीवी फुटैज खंगाले। गठित टीम ने ब्लांड मर्डर का खुलासा करते हुए करण की हत्या के मामले में दिलभर गुर्जर को दौलतगंज के पास से डिटेन कर अनुसंधान के बाद प्रकरण में गिरफ्तार किया।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि हत्या के आरोपी दिलभर गुर्जर से पूछताछ में सामने आया कि दिलभर गुर्जर एक महिला से एक तरफा प्यार करता था, उसको शक था कि करण का उस महिला से नजदीकी संबध है इस कारण उसका प्यार सफल नहीं हो पा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कुछ दिन पूर्व झगड़ा भी हुआ था और एक तरफ प्यार के चलते दिलभर गुर्जर ने करण पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी।

शहर एसपी ने बताया कि मामले में सामने आया कि 19 दिसम्बर को जब करण बाइक को ठीक करवाने निकला था तो दिलभर गुर्जर ने उसकी रैकी कर उसका पीछा किया और बाइक ठीक कराने के बाद शाम को घर जा रहा था तो उसका पीछा कर रहे दिलभर गुर्जर ने फोरलेन स्लीप लाइन के पास उसको रोककर धारदार हथियार चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी और आरोपी चाकू को पास के पत्थरों में छिपाकर स्कूटी से फरार हो गया था। पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान किया जा रहा है।

इको कार से 19 पेटी अवैध शराब बरामद, छह गिरफ्तार

- आरोपी सवारियों की आड़ में शराब को गुजरात ले जाने की फिराक में थे

डूंगरपुर, (निसं)। जिला स्पेशल पुलिस टीम (डीएसटी) ने बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के संचिया के पास अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक पैसेंजर इको गाड़ी से 19 पेटी अवैध शराब बरामद की है। इस मामले में ड्राइवर और 3 महिलाओं सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। तस्कर इस अभियान से बचने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर पैसेंजर गाड़ियों में सवारियों की आड़ में अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं। इस सूचना पर डीएसटी की टीम को संचिया वरहात फला की ओर रवाना किया गया। टीम ने अवैध शराब से भरी एक इको कार को रोका।

पुलिस को देखकर ड्राइवर घबरा गया। गाड़ी में सवारियां होने के कारण किसी को शक नहीं हुआ। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली, तो सवारी बैग में ही शराब की 19 पेटियां भरी हुई मिलीं। आरोपी सवारियों की आड़ में शराब को गुजरात ले जाने की फिराक में थे।

पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में प्रवीण (40) पुत्र मीठालाल भगोरा निवासी संचिया, अजय (26) पुत्र विनोद घांसी निवासी कंकाड़ीवास थाना सरदार नगर अहमदाबाद, अजय (23) पुत्र रमेश भाई ठाकोर, आरती (40) पत्नी प्रमोद तमाईचे, सपना (40) पत्नी अजय तमाइचे और राजेश्वरी (33) पत्नी संजू भाई को गिरफ्तार किया है।

ब्लैकमेल करने का आरोपी गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। प्रताप नगर थाना पुलिस ने अश्लील वीडियो और आपत्तिजनक फोटो वायरल कर ब्लैकमेल करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि एक महिला ने गत दोनों थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी बेटी की शादी से पहले आरोपी आईदान बंजारा उसकी इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से युवती के आपत्तिजनक फोटो वायरल कर रहा है, इसके बाद पीड़िता के पति को जान से मारने की धमकी देते हुए रुपए की भी मांग की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी आईदान बंजारा पुत्र दुर्गा बंजारा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन जब्त कर मामले की जांच शुरू की है।

80 लाख रूपये के गबन में सोसायटी की महिला सचिव गिरफ्तार

मामले में सोसायटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस

- महिला आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया

कोटा, (निसं)। बोरखेड़ा पुलिस टीम ने इलाके के महालक्ष्मीपुरम सोसायटी के फंड व बैंक खातों में जमा करीब 80 लाख रूपये के गबन व हेराफेरी के मामले में वांछित महिला आरोपी सोसायटी की सचिव महालक्ष्मीपुरम् निवासी रेणु तोमर को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में पूर्व में सोसायटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष को गिरफ्तार कर चूकी है।

बोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर को महालक्ष्मीपुरम् निवासी फरियादी ने रिपोर्ट दी थी कि सोसायटी के कुछ पदाधिकारियों ने सोसायटी फंड व बैंक खातो में जमा तकरीबन 80 लाख रूपये का गबन व हेराफेरी की है। फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर मामले में अनुसंधान करते हुए पूर्व में महालक्ष्मीपुरम् सोसायटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष को गिरफ्तार किया जा चूका था। थानाधिकारी ने बताया कि मामले में अनुसंधान के बाद आरोप प्रमाणित होने पर कार्यवाही करते हुए सोसायटी की सचिव महिला आरोपी रेणु तोमर (35) को गिरफ्तार किया। महिला आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से महिला आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

झोपड़ियों में लगी आग, हादसा टला

कोटा, (निसं)। डकनिया रेलवे स्टेशन के पास रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब अचानक से झोपड़ियों में आग लग गई। झोपड़ियों में आग लगने की सूचना पाकर अग्निशमन विभाग की दमकल मौके पर पहुंची और आग को फैलने से पहले समय रहते आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि जिस समय झोपड़ी में आग लगी, उस समय टापरी में मजदूर अंदर नहीं थे, मजदूर काम के लिये निकल गये थे।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि रविवार सुबह डकनिया स्टेशन के पास बनी टापरियों में आग लगने की सूचना मिली, जिस पर तुरंत प्रभाव से दमकल को रवाना किया गया। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग दो टापरियों में फैली थी, समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। डकनिया स्टेशन के पास करीब एक दर्जन से ज्यादा टापरियां बनी हुई है। आग की चपेट में आने से टापरियो में रखे मजदूरों के कपड़े व अन्य सामान जल गये, आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है।

भीलवाड़ा में खाली पड़े मकानों के नाम पर 10 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी ने दो मकान के फर्जी आवंटन बताकर रुपए की ठगी की थी

- फर्जी लेटर पैड पर अधिकारियों के फर्जी साइन और सील लगाकर मकान का फर्जी आवंटन किया जा रहा था

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर की प्रताप नगर थाना पुलिस ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के खाली पड़े मकानों के नाम पर ठगी का खेल रचने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया है।

थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के खाली पड़े मकान के नाम पर ठगी का एक खेल रचा जा रहा था। शहर के तिलक नगर विस्तार, चंद्रशेखर आजाद नगर सहित अन्य क्षेत्रों में खाली पड़े मकान बाहर के लोगों को दिखाकर 5 से 10 गुना कम रेट में बेचने का दावा कर फर्जी लेटर पैड पर अधिकारियों के फर्जी साइन और सील लगाकर मकान का फर्जी आवंटन किया जा रहा था। यहां तक कि लेटर पैड पर सचिव नाम से हस्ताक्षर किए गए जबकि हाउसिंग बोर्ड में सचिव नाम की कोई पोस्ट होती ही नहीं है।

गिरफ्तार आरोपी।

इसी तरह से 10 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी मुकेश नाराणीवाल को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रताप नगर थाना अधिकारी राजपाल सिंह का कहना है कि जवाहर नगर निवासी भगवती लाल भाट ने नाराणीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था, इसके बाद जब पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और पूरी वारदात खुलकर सामने आई। पुलिस ने भगवती लाल की रिपोर्ट पर मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मुकेश ने भगवती लाल के भतीजे प्रदीप कुमार को दो मकान के फर्जी आवंटन बताकर 10 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। आरोपी ने 26 जुलाई को प्रत्येक प्लॉट के पैठे 5-5 लाख रुपए जमा करवाने की बात कह कर दो-दो लाख ले लिए। बाद में दो मकान के आवंटन होने की रसीद लाकर 6 लाख और लिए गए। आवंटन आदेश मांगा तो टालमटोल करने लगा, तब परिवादी को शंका हुई और उसके बाद मामला थाने तक पहुंचा। उसके बाद पुलिस जांच में यह पूरा खेल खुलकर सामने आ गया।

महिला पर ब्लैकमेल करने का आरोप, केस दर्ज

श्रीगंगानगर, (निसं)। एक युवक ने साथ में काम करने वाली युवती पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित के परिवाद पर जवाहर नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। एएसआई राजकुमार अरोड़ा को मामले की जांच सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार पीड़ित युवक जसप्रीतसिंह ने आरोप लगाए हैं कि उसके साथ बीमा एजेंट के रूप में काम करने वाली युवती से दोस्ती हो जाने पर बातचीत होने लगी। आरोपिया ने पिछले साल अगस्त माह में प्रपोज किया। पीड़ित ने स्वयं को शादीशुदा होने का हवाला देकर शादी नहीं कर सकने के बारे में बताया। इस पर आरोपिया ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी और मामला निपटाने को पांच लाख रुपए की डिमांड की। पीड़ित ने मामला शांत करने को आरोपिया को ऑनलाइन पेमेंट करनी शुरू की। आरोपिया श्रीगंगानगर में किराए का मकान लेकर रहने लग गई। इसका खर्चा भी पीड़ित उठाता रहा। अब आरोपिया पांच लाख रुपए एकमुश्त मांग रही है और नहीं देने पर गांव में आकर बदनाम करने तथा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकियां दे रही है।

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, राजस्थान, जयपुर
कार्यालय चुनाव अधिकारी
रमाबाई कांफ्रेंस हॉल, 13-14, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
क्रमांकः चुनाव/2025/SP.10 दिनांकः 14.12.2025
सूचना
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान के सभी समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि अपरिहार्य कारणों से पूर्व में चुनाव समिति का स्थापित कार्यालय रमाबाई कांफ्रेंस हॉल, डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, झालाना डूंगरी जयपुर को स्थानान्तरित कर सी-ब्लाक, रैगर छात्रावास, सांस्थानिक क्षेत्र, JLN मार्ग, दैनिक भास्कर समाचार पत्र कार्यालय के पीछे तथा RAS क्लब के पास कर दिया गया है। चुनाव सम्बन्धी समस्त कार्य रैगर छात्रावास से ही संचालित किये जायेंगे। नामांकन फॉर्म भी वर्तमान कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
जे.पी. विमल IAS(R) अध्यक्ष चुनाव समिति